17.32 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Study made with regard to Socio-Economic Developments of Scheduled Castes in Rural Areas

MR. CHAIRMAN : Now, we take up the next item-Half-an-hour discussion. Shri Ram Vilas Paswan.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, यह सवाल 14 मार्च के तारांकित प्रश्न से उत्पन्न हुआ है जिसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के सोशो-इकनामिक प्रोग्राम के सम्बन्ध में इसकी चर्चा की गई थी। मंत्री महोदय के जबाव में कई प्रश्न बच गए थे, इसलिए आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जैसा कि सदन में बार-बार चर्चाएं हुई हैं और आजादी के 36 साल के बाद भी इनकी दशा नहीं सुधर पाई है ; जिस अनुपात में संविधान निर्माताओं ने आशा की थी। आज भी हम देखते हैं कि सामाजिक और अर्थिक स्तर पर इनका शोषण जारी है। पिछले दिनों होली के दिन शेडयूल कास्ट के नाम पर इतनी अट्रासिटीज हुई हैं, इनके पीछे आप जाकर देखेंगे तो सामाजिक और आर्थिक कारण ही पाएंगे।

सभापति महोदय, मैंने सुबह दो प्रश्न उठाए थे और कहा था कि इस दिल्ली में 9-10 अप्रैल की मध्य रात्रि को पुलिस ने लोनी रोड स्थित बुद्ध बिहार को तोड़ डाला, मूर्ति को तोड़ दिया, पंचशील के झंडे को उखाड़ दिया और चार बौद्धों को जिनका नाम मैंने सुबह बताया था, गिरफ्तार कर लिया गया। अपमानित किया गया।

17.34 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

17 तारीख को उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिलांतर्गत हाथरस में अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा पर लाठी चार्ज किया गया और 35 अंबेडकर-वादियों को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल में डाल दिया गया। 18 तारिख को अधिकारी के सामने आगरा अलीगढ़ रोड पर स्थित नवगिरी में डा० अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया और लोगों को घायल भी किया गया। इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए गए तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। तो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और अट्रासिटीज पर हमेशा इस सदन में चर्चा होती रही है।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मुख्य मुद्दा में यह उठाना चाहता हूं कि सरकार ने अपने जवाब में, कई प्रश्नों के जवाब में बताया है कि इन इन योजनाओं के अंतर्गत शेडयूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए क्या क्या करने वाले हैं। विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा दिया है। एक प्रश्न पूछा गया था 14 मार्च 1984 को ही। उसका जवाब दिया था कि आर्थिक स्थिति का विस्तृत और समकेतिक कार्यक्रमों के द्वारा छटी योजना में 50 परसेंट अनुसूचित जाति के परिवारों को पर्याप्त रूप से सहायता करना है। और छठी योजना में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक स्तरों के पिछड़ेपन को दूर करने का सारे का सारा कार्यक्रम उन्होंने बताया। उसी तरह से शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं के सम्बन्ध में कहा है और उसमें कृषि निवेश, दुधारु गाय, बैल, चारागाह से लेकर लघु सिंचाई योजना तक सारी बातें सम्मिलित हैं।

एक प्रश्न सरकार से पूछा गया था 21 मार्च, 1984 को कि क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की परिस्थितियों का राज्यवार और जिलेवार कोई अध्ययन कराया है, तो सरकार का जबाब मिला कि नहीं। फिर बिहार के सम्बन्ध में पूछा गया तो सरकार ने

जवाब दिया कि कोई विशिष्ट जिलेवार अध्ययन नहीं किया गया है, परन्तु आमतौर पर यह मालूम है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्राय: सभी परिवार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक आर्थिक रूप से पीड़ित हैं।

फिर एक प्रश्न 4 अप्रैल को किया गया जिसमें पूछा गया कि क्या सरकार को मालूम है कि देश में विभिन्न राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में नितान्त गरीबी विद्यमान है? क्या इन क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों की अनुमानित संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है, तो सरकार का जबाव मिला कि सरकार को मालूम है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में सामान्यत: कमजोर सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति विद्यमान हैं।

मतलब यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिसके तहत सरकार कह सके कि देश में कितने लोग हैं जो गरीबी की रेखा से बिल्कुल ही नीचे हैं। उनको ऊपर उठाने के बारे में आपने अपने एक प्रश्न के उत्तर में आंकड़े दिए हैं कि इतने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आपने लक्ष्य रखा है कि 1985 में हम 50 प्रतिशत शिडयूल्ड कास्ट्स व शिडयूल्ड ट्राइब्ज लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम करेंगे। जब आपके पास कोई सर्वेक्षण ही नहीं है, आप कोई सर्वे ही नहीं करवाते हैं कि कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कितनों का आपने जीवन स्तर ऊंचा उठाया औ. यहां आप जवाब देने से टालते रहते हैं। जब कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाता है उसमें आप नकारने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट की है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कम-से-कम सर्वेक्षण करवाएं कि कितने लोग शिडयूल्ड कास्ट्स के हैं जो कि काश्तकार हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेसर अथवा डाक्टरी का काम करते हैं और कितने अन-टू टी लास्ट हैं? जब तक आप कोई इस तरह का सर्वेक्षण नहीं कराएंगे, आप इसी प्रकार के गोलमोल जबाव देंगे जिससे समस्या का निदान होने वाला नहीं है।

आप योजनाओं को देखेंगे तो मालूम होगा कि कुछ खर्च, टोटल पब्लिक सेक्टर आउट-ले प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2378 करोड़ रुपए का है। इसमें शिडयूल्ड कास्ट्स के लिए व शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए कुल 39 करोड़ रुपए रखा गया था जो कि टोटल आउट-ले का 1.6 परसेंट था। आबादी 25 परसेंट के करीब यानी एक-चौथाई और उसके विकास पर पब्लिक सेक्टर में रखा गया 39 करोड़ आउट आफ 2378 करोड़।

केन्द्रीय और राज्य सरकार के सेक्टर में आपने 7 करोड़ शिडयूल्ड कास्ट्स के लिए रखा और 19 करोड़ शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए रखा। टोटल फिगर्स हमारे पास नहीं हैं, आप कहें तो भेज देंगे।

द्वितीय योजना में टोटल आउट-ले पब्लिक सेक्टर में 4800 करोड़ था जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए आपने केवल 90 करोड़ दिया जो कुल योजना का 1.8 परसेंट था।

तृतीय योजना में इसे 7500 करोड़ कर दिया गया जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए 114 करोड़ रखा गया जो कुल योजना का 1.5 परसेंट रह गया जब कि पहली योजना में 1.6 परसेंट था, द्वितीय में था वह घटाकर 1,5 परसट 1.8 परसेंट कर दिया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल 15,902 करोड़ रुपए रखे गए, जिसमें से शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए 171 करोड़

रुपए रखे गए, जो कुल रकम का 1 परसैंट होते हैं। पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में पब्लिक सेक्टर का टोटल आउटले 39,303 करोड़ रुपए था, जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 228 करोड़ रुपए अर्थात 0.6 परसैंट थे। उन लोगों का हिस्सा 1 परसैंट से भी घट गया। छठी पंच-वर्षीय योजना में टोटल आउटले 97,600 करोड़ रुपए का था, जिसमें से शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए 960 करोड़ रुपए अर्थात् 0.9 परसैंट रखे गए।

इन वर्गों की आबादी 25 परसैंट है। इनके लिए विशेष रूप से अधिक खर्च करना चाहिए था, क्योंकि वह समाज का सबस कमजोर तबका है। लेकिन स्थिति यह है कि जो जितना कमजोर है, उसपर उतना ही कम खर्च किया जा रहा है और जो जितना शाक्तशाली है, उसपर उतना ही अधिक खर्च किया जा रहा है और उसको अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है। योजना आयोग ने छठी योजना में कहा है :—

> "तीन दशकों के विकास-कार्य का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से असमर्थ उन जन-समूहों पर वांछित प्रभाव नहीं पड़ सका है। सामान्य आर्थिक उन्नति से पहुंचने वाले लाभों से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की संख्या देश की कुल आबादी की एक-चौथाई है और इनमें से अधिकांश गरीबी की रेखा से नीचे हैं। साथ ही उन्हें ऐसी विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो केवल उनके साथ ही जुड़ी हुई हैं।"

योजना आयोग ने यह भी कहा है :—

> "संविधान के निदेशक सिद्धान्तों और सरकार के वैधानिक और कार्यकारी उपायों के बावजूद उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण आर्थिक सहायता का अभाव है। यद्यपि पिछली पंच-वर्षीय योजनाओं में उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए थे, फिर भी उनके कमजोर आर्थिक आधार की मूलभूत समस्या पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया है।"

18 अप्रैल, 1984 को सरकार से यह प्रश्न पूछा गया था :—

> "Will the Minister of Planning be pleased to state the total number of SC/ST families proposed to be given economic assistance under 2o-Point Programme during the year, 1983-84 ?"

सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया :—

> "During 1983-84 Scheduled Caste families or 24.98 lakhs and 7.63 lakh Scheduled Tribe families were targetted to be given economic assistance under the 20-Point programme."

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो टारगेट रखा था। उसकी पूर्ति कितनी हुई है।

दूसरा प्रश्न सरकार से 4-4-84 को पूछा गया, जो इस प्रकार है :—

> "(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू पंच-वर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका और इसके क्या कारण हैं।"

सरकार ने जो योजनाएं तैयार की हैं, उनका मूल आधार स्टेट गवर्नमेंट हैं। यदि स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेंगी, तो केन्द्रीय सरकार पैसा देगी।

इस सम्बन्ध में बिहार के अखबार आर्यावर्त में कहा गया है :—

"राज्य सरकार द्वारा अब तक इन तथ्यों की खोज के लिए कोई पृथक मशीनरी नहीं बन पाई है, जो इस सचाई का पता लगाए कि राज्य के आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण की योजनाओं पर होने वाला व्यय कितना सार्थक हुआ। 1983-84 वर्ष में 1982-83 वर्ष की अपेक्षा 6 करोड़ रुपए अधिक आबंटित थे, मगर 1983-84 में सात करोड़ रुपए या तो सरेन्डर कर दिए गए अथवा दूसरे मदों में स्थानान्तरित कर दिए गए हैं।"

पैसा शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए दिया जाता है, वह या तो सरेन्डर कर दिया जाता है या दूसरे कामों में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिल सका है कि राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि पिछले चार पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न विकास-कार्यक्रमों के तहत कितना-कितना पैसा राज्य सरकारों को दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितना पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिया और कितना पैसा विकास के काम पर खर्च हुआ? और आपके पास क्या एजेन्सी है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि राज्य सरकार ने उस पैसे को खर्च किया है कि नहीं? कितना डाइवर्ट किया है?

21 मार्च को श्री पीयूष तिरकी का सवाल था कि :

वर्ष 1980 से अब तक वर्षवार तथा राज्यवार आदिवासी विकास के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है,

वर्ष 1980 से अब तक वर्षवार तथा राज्यवार राज्यों द्वारा केन्द्र को लौटाई गई धनराशि, जिसका उपयोग नहीं किया जा सका, ब्यौरा क्या है; और

आदिवासी विकास के लिए निर्धारित धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? सरकार ने जवाब दिया कि 1980-81 से 1983-84 तक आदिवासी उपयोजना के अधीन विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई धनराशि का एक विवरण संलग्न है।

(ख) किसी राज्य ने अनुदान का कोई भाग केन्द्र को वापिस नहीं लौटाया है। किन्तु कुछ राज्यों ने खर्च न की गई शेष राशि की सूचना दी है···।"

आपको लौटाया नहीं, लेकिन उसको खर्च

भी नहीं किया इसकी सूचना दी है। मैं पूछता हूं कि यदि खर्च नहीं किया तो परपज क्या सर्व हुआ ?

लाइसेंस के सम्बन्ध में हम मान कर चलते हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं यदि आप चाहते हैं कि देश में लोगों का जीवन स्तर, सामाजिक और आर्थिक, ऊपर उठे तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा। अभी शिक्षा उप-मंत्री बोल रहे थे टोटल शिक्षित लोग हैं 36 परसेंट और इसमें से शेडयूल्ड कास्ट्स हैं 16 परसेंट। जहां महिलाओं का 22 परसेंट है वहां उसमें शेडयूल्ड कास्ट्स की महिलाएं हैं 6 प्रतिशत। तो शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए आजादी के बाद। लेकिन शेडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के गरीब तबकों के लोगों की आजादी के बाद भी यह दयनीय स्थिति है शिक्षा के बारे में। कोई आदमी अपने राइट्स को तभी पहचानेगा जब वह शिक्षित होगा। सरकार कहती है हमने इतने होस्टल खोल दिए। बिहार में 7 होस्टल खोल दिए। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। जिस प्रान्त में 500 ब्लाक्स में से 7 होस्टल के लिए ही पैसा दिया जाय तो कैसे काम चलेगा ?

मैंने 14 मार्च, 1984 को एक अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 पूछा था कि "क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस धारी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?" उद्योग मंत्री जी ने जवाब दिया "चूंकि लाइसेंस स्वीकृत करते समय आवेदनकर्ता उद्यमी की जाति/समुदाय/जनजाति को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को जारी किए गए लाइसेंसों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।"

दूसरा प्रश्न जो किया गया और उसका जवाब इस प्रकार है :

The Question was :

> "Whether Government have any proposal to start an industry in each State exclusively for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and if so, when this proposal is likely to be implemented."

The answer was :

> "....Special incentives and facilities are provided to Scheduled Caste and Scheduled Tribe entrepreneurs for setting up small enterprises...."

एक तरफ आप कहते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम नहीं रखा जाता है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इन्सैन्टिव भी देते हैं। एक ही मिनिस्टर के दो जवाब और दोनों ही कन्ट्राडिक्ट्री हैं। श्री पीयूष जी ने एक सवाल पूछा था :—

"Will the Minister of Industry be pleased to state :

> (a) the total number of Scheduled Tribes who got their small scale industries registered since 1980 till date, State-wise and year-wise."

The reply is :

> "Central Government do not collect community-wise details of loans disbursed by the State/Union Territory Governments."

आपको मालूम नहीं है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स को कितना मिलता है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को कितना मिलता है और होम मिनिस्ट्री कुछ कहती

है। यह प्रश्न भी इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री का है, जो कि सबसे ज्यादा वाइटल मिनिस्ट्री है, जिसके माध्यम से स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा उठा सकते हैं। वह कहती है :—

> "Central Government do not collect community-wise details of loans disbursed by the State/Union Territory Governments."

एक और प्रश्न पूछा गया—स्व-रोजगार कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के मामले में आरक्षण के सम्बन्ध में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है? जवाब मिलता है—शिक्षित अनुसूचित तथा जनजातियों के व्यक्तियों के लिए मंजूर किए गए ऋण के आंकड़े अलग से इकट्ठे नहीं किए जाते हैं। जब ऋण देने की बात आती है तो अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इन्डस्ट्री के लिए लोन की बात आती है तो अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है, जब लाइसेंस देना होगा तो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अलग से आपके पास आंकड़े नहीं है। एक और प्रश्न पूछा गया—अनुसूचित जाति और जनजाति तथा ऐसी एसोसिएशन को मान्यता देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज द्वारा चलाई जा रही है? इसके सम्बन्ध में सरकार कहती है कि चूंकि यह जाति और धर्म के आधार पर है। सरकार की नीति है कि जाति, जनजाति, धर्म इत्यादि के आधार पर चलाए जाने वाले संघों को मान्यता नहीं दी जाएगी। यह सरकार का जवाब है कि धर्म के आधार पर कोई संस्था चलाना चाहे, जाति के नाम पर चलाना चाहे, रिलीजीयन के आधार पर चलाना चाहे, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है? अभी दास साहब ने अपनी समिति की रिपोर्ट पेश की है। डिफेंस मिनिस्ट्री में किस आधार पर जाट रैजीमेंट चलता है सिक्ख रैजीमेंट चलता है, राजपूत रैजीमेंट चलता है और जो शैड्यूल्ड कास्ट व शैड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर चमार रैजीमेंट था, उसको खत्म कर दिया गया है। एक ही जगह दो चीजें चल रही हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : That is quite different.

SHRI RAM VILAS PASWAN : May be different in your eyes. It is not so in our eyes.

SHRI P VENKATASUBBAIAH : For you everything is different.

श्री राम विलास पासवान : आप कह सकते हैं कि उसमें हिस्टोरिकल इफैक्ट था। अंग्रेजों के समय डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी चलती थी। एक भाई को दूसरे भाई का कतल करवाने के लिए जहां एक तरफ राजपूत रैजीमेंट था, वहीं दूसरी तरफ दूसरा रेजीमेंट था। अब हिन्दुस्तान आजाद हो गया है, आज की परिस्थिति में सिक्ख रैजीमेंट में हिन्दू जाति का आदमी नहीं जा सकता है, राजपूत रैजीमेंट में शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं जा सकता है, जाट रैजीमेंट में दूसरी जाति का आदमी नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपको अपने इतिहास पर गर्व है, तो जो शैड्यूल्ड कास्ट रैजीमेंट है, महार रैजीमेंट है, पासवान रैजीमेंट है, शैड्यूल्ड ट्राइब्स रैजीमेंट है, उसको भी जोड़ दीजिए। युद्ध में कम्पीटीशन हो जाएगा, तो मालूम हो जाएगा कि कौन सा रैजीमेंट सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन आप किसी की अपोर्चुनीटीज को रोक नहीं सकते हैं। एक तरफ जाति के नाम पर रैजीमेंट है और दूसरी तरफ जाति के नाम पर एसोसिएशन को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। एक ही भारत सरकार है, कई युरोप

की सरकार नहीं है। हमारा रक्षा मंत्रालय भी देश का है। आप इसको लॉजिकली फिट मान लें, लेकिन मुझे यह फिट नहीं लग रहा है।

इसी प्रकार का एक प्रश्न प्लाट और फैक्ट्रीज के सम्बन्ध में पूछा गया था। इस सम्बन्ध में भी सरकार का यह जवाब है :—

"(c) Since there is no statutory reservation for the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in regard to allotment of raw materials, no separate record is available with the Corporation."

इसी तरह से प्राइवेट सैक्टर में है। सरकार प्राइवेट सैक्टर को पैसा देती है। स्वराज पाल में यह बात उठी थी कि ये चरतराम, भरतराम, टाटा, बिड़ला 2 परसेन्ट शेयर, 3 परसेन्ट शेयर, रख कर पूरी कम्पनी पर कब्जा किए रहते हैं। बिड़ला मन्दिर बना रहा है—हम समझते थे कि अपनी पाकेट से बनवाता होगा, लेकिन पैसा तो कम्पनी का है, आपका पैसा है, गर्नमेन्ट का पैसा है। बिड़ला के नाम पर मन्दिर खुल रहा है, लेकिन जब पैसा फाइनैंशियल इंस्टीचूशन देती है, तो क्या गवर्नमेन्ट उसको प्रैस नहीं कर सकती है कि तुम को लोन तब देंगे जब तुम अपने यहां रिजर्वेशन की पालिसी को लागू करो। सिर्फ सरकारी नौकरी पर आश्रित रख कर शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का भला करना चाहते हैं। तीन या चार परसेन्ट सरकारी नौकरी मिल जाय, क्या उससे ही आप समझते हैं कि हमारा इकानामिक स्टेटस ऊंचा हो जाएगा, हमारा सोशल स्टेटस ऊंचा हो जाएगा? यदि ऐसा सोचते हैं तो हम लोग एक दिवास्वप्न देख रहे हैं।

हमारे समय में फूड-फार-वर्क चलाई गई थी। हमारे समय में उनको 4 किलो अनाज की मजदूरी मिलती थी, लेकिन आपकी सरकार ने उसको खत्म कर दिया। जब मैंने पूछा तो सरकार ने कहा—

"(b) The Antyodaya and the Food for Work Programmes were refined, restructured and systematically extended to cover the entire country through the Integrated Rural Development Programme (IRDP) and the National Rural Employment Programme (NREP) respectively."

हमारे समय में 4 किलो मजदूरी दी जाती थी और जब कोई बड़ा आदमी उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं देता था, डेढ़ या दो किलो पर उनको रखता था, तो वे वहां काम न करके सरकारी प्रोजेक्ट में जाकर काम करते थे, जिसके कारण उस बड़े आदमी को भी उतना देना पड़ता था। अब आप उसको 4 किलो की जगह रुपया दे रहे हैं। यह रुपया किसकी जेब में जा रहा है – आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किसी जगह एक पोखर की आवश्यकता थी—एक बी० डी० ओ० आया, उसने उसको बनवाने के नाम पर 50000 रुपया उठा लिया। उसके बाद दूसरा बी० डी० ओ० आया। उसने कहा कि इसको साफ कराने की आवश्यकता है। उसने फिर साफ कराने के नाम पर 50 हजार रुपया उठा लिया। उसके बाद तीसरा बी० डी० ओ० आया, उसने कहा कि पोखर से मच्छर बहुत हो गए हैं इसलिए उसको भरवा देना चाहिए और पोखर भरने के नाम पर उसने भी रुपया उठा लिया। न वहां पर पोखर बना, न साफ हुआ और न भरवाया गया—तीनों ने उसके नाम पर पैसा उठा लिया। यह आपकी योजना है। इसलिए यदि आप योजना को बनाना चाहते हैं तो साफ-साफ बनाइए ताकि वास्तव में उनका भला हो सके।

मैंने एक प्रश्न पूछा—

"(a) Whether Scheduled Castes/

Scheduled Tribes Cell has been constituted;

"(b) if so, the number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons working in the Cell."

आपने कहा—सेल खोला गया है, लेकिन इसमें कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं है। आप शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए सेल खोलते हैं लेकिन उसमें उस समुदाय का एक भी अधिकारी नहीं रहेगा तो आप क्या समझते हैं—क्या उससे हमें कोई लाभ हो सकेगा ? आप अनुसूचित जातियों की रक्षा करने के लिए कोई थाना, पुलिस स्टेशन खोलते हैं लेकिन उसमें एक भी शेडयूल्ड कास्ट या शेडयूल्ड ट्राइब का अफसर नहीं रहेगा तो वे क्या रक्षा कर सकेंगे ?

आपको मालूम है—बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भागों में "झारखंड राज्य" की मांग हो रही है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि सी० आर० पी० की तीन कम्पनियां राज्य सरकार को दे दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं—आज शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो गए हैं, जब वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो आप उनका मुकाबला करने के लिए फौज भेज रहे हैं, सी० आर० पी० भेज रहे हैं। कितनों दिनों तक ऐसे चलेगा ? उनके लिए इकानामिक प्रोग्राम को सही रूप में लागू कीजिए तभी समस्या का समाधान हो सकेगा।

आजादी के 36 साल बीत गए—सिर पर मैला उठाने की प्रथा अब भी कायम है। दुनिया में आज लोग चांद तक पहुंच रहे हैं, जहां लोग अंतरिक्ष पर पहुंच रहे हैं, वहां हिन्दुस्तान में आज भी भंगी सिर पर लोगों का पाखाना उठाने का काम करता है। सरकार ने कोई टैक्नीक नहीं अपनाया है। आज इस देश में गावों में, शहरों की बात आप छोड़ दीजिए, जो मरा हुआ जानवर होता है, उसको उठाने वाला कौन है। एक जाति विशेष का आदमी है। मरी हुई गाय को उठाने वाला एक विशेष जाति का आदमी है। उसके लिए आप गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और आप तो सभापति महोदय, बंगाल से आते हैं। बंगाल और बिहार में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। जब गाय मर जाती है या कोई दूसरा जानवर मर जाता है, तो उसकी चारों टांगों को बांध देते हैं और दो आदमी उधर से पकड़ते हैं और आदमी इधर से पकड़ते हैं और कंधे पर रख कर उसको ले जाते हैं। फिर गाय को काटते हैं और उसका चमड़ा निकलता है और फिर जाकर उसकी हड्डी को वे बेचते हैं, जिनसे खाद बनती है। सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, तो क्या वह कोई ऐसी मशीन नहीं निकाल सकते, जिस मशीन में उस गाय को ले जाया जा सके और कोई ऐसा औजार हो, जो बिना आदमी के हाथ लगाए हुए अगर चमड़े की आवश्यकता है, तो उसका चमड़ा निकल जाए और अगर हड्डी की आवश्यकता है, तो हड्डी निकाल कर उसकी खाद बनाई जा सके लेकिन ऐसा नहीं होगा और इस काम को एक जाति विशेष का आदमी ही करेगा। पाखाना साफ करने का काम एक जाति विशेष के आधार पर होगा और मरे हुए जानवर को उठाने का काम एक जाति विशेष के आधार पर चलेगा और चमड़ा निकालने का काम एक जाति विशेष के आधार पर चलेगा। इस व्यवस्था को आपको खत्म करना होगा।

मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप यह देखिए कि जहां-जहां एट्रोसिटीज होती हैं, वे वहीं होंगी जहां गांव में सड़कें नहीं हैं। पिपरा में सड़क नहीं थी, कफलटा में सड़क नहीं थी, देवली में सड़क नहीं थी, रामपुरा में सड़क नहीं थी और

साधुपुर में सड़क नहीं थी और वहां पर हरिजनों पर एट्रोसिटीज हुई। वहां आदमी आता है और कत्ल करके चला जाता है।

एक और बार मैं कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के नाम पर गांवों में बिजली ली जाती है लेकिन दूसरी जातियों के जो लोग होते हैं, वे बिजली ले लेते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बिजली नहीं मिलती है।

मैं इतना कह कर अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूं कि आपने योजनाओं की जो लिस्ट दी है, वह बहुत अच्छी लिस्ट है। उसमें व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाने की बात कही है जैसे दस्तकारी, रिक्शा चालक, बीड़ी मजदूर, पशुपालन, रेशम उत्पादन के लिए सुविधाएं देने की बात है और जो सारी लिस्ट है, इससे मालूम पड़ता है जैसे कि स्वर्ण युग इनके लिए आ गया है और एकदम तीन साल के अन्दर ये लोग समाज के दूसरे लोगों के बराबर आ जाएंगे लेकिन मैं सरकार पर यह चार्ज लगाता हूं कि सरकार के पास जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी स्पेशल प्रोग्राम हैं, वे सिर्फ पेपर पर ही हैं। मेरा कहना तो यह है कि आप बीस-सूत्री कार्यक्रम को छोड़िए, आप 25 सूत्री कार्यक्रम को छोड़िए, आप एक सूत्री कार्यक्रम ही रखिए और अपने मन को साफ कर लीजिए और आप अपना मन बना लीजिए कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए योजनाओं पर जितना भी खर्चा होगा, उसकी मोनीटरिंग होगी।

मैं विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन मैंने कई बार इसको उठाया है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के नाम पर जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं चाहे वह हरिजन सेवक संघ हो और चाहे वह कोई दूसरा संघ हो, यह कुछ लोगों को पालने के लिए किया जा रहा है और इसमें आपके आदमी पलते हैं। शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के नाम पर सारा खर्च होता है, लेकिन उस का लाभ उनको नहीं मिलता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की पापूलेशन को आप देख लीजिए। 25 परसेन्ट उनकी पापूलेशन है। जितनी उनकी संख्या है, उसी हिसाब से आप उनका हक दीजिए।

मैं मंत्री जी से अन्तिम सवाल करके बैठ जाता हूं। मैंने इसी सदन में कई बार इस बात को कहा है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए आप एक अलग से मंत्रालय बनाएं और आप के सेठी साहब लगातार तीन-चार बार कह चुके हैं और पहले जो होम मिनिस्टर थे और अब प्रेसीडेंट बन गए हैं, उन्होंने भी कहा कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय बनाने का मामला अन्डर एक्टिव कंसिडरेशन है। अगर वह एक्टिव कंसिडरेशन में है, तो आज इस सदन में मंत्री जी घोषणा करें कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के प्रोग्रामों की मोनीटरिंग के लिए एक अलग से सेल बनेगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह सेल आपकी मिनिस्ट्री में बन गया है या नहीं बना है और अगर नहीं बना है, तो कब तक वह बनेगा। आप अलग से उनके लिए मंत्रालय बनाएंगे या नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Minister.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Sir, let the others also speak. Afterwards he can give his reply. One speaker has taken more than 1/2 an hour.

MR. CHAIRMAN : Other four hon. Members will put a question each later. Now, let the Minister reply.

PROF. N.G. RANGA : Rules have to be changed. Somebody or other some day or other has to protest against all this kind of procedure; is this what you call Half-an-Hour discussion ?

SHRI RAM VILAS PASWAN : Short duration is for one hour.

PROF. N.G. RANGA : This is Half-an-hours Discussion only. I am addressing the Chair, Mr. Paswan.

MR. CHAIRMAN : Let the hon. Minister proceed. It is a very important subject. The Minister is prepared to reply. Let us hear him.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I must express my thanks to my hon. friend Shri Ram Vilas Paswan to have brought this subject for discussion in the House through this Half-an-hour Discussion.

Sir, it gives an opportunity for this Government also to highlight the various measures which have been taken to ameliorate the conditions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country.

I may strike a personal note that I have been working among these persons for the last 20-30 years not only as a Member of Parliament, but also as a social worker. Since I came from a backward and poverty-striken area, I have taken special interest to work for these unfortunate people, who for generations together have been oppressed and suppressed. It is the Father of the Nation who took up the cause of these people and worked incessantly during his lifetime for the socio-economic development of these people. Many selfless band of workers have worked among these people, and I may tell my hon. friend, Shri Paswan that it is not only the duty of the scheduled caste persons, it is the moral duty of the non-scheduled caste persons also to work for the amelioration of these people. And for centuries they have been working. There are quite a number of social workers like Shri Rajgopal Naidu, Prof. Ranga, who have given inspiration to us to work among these people. Bapuji has said we have got a moral duty, we owe a debt to these people for several ages, and we must redeem that and work for these people.

During all the Plan periods, certain efforts have been made to help this section of the population. I do not say that we have done substantially for these persons all these years. The most important factor that is to be borne in mind is that our country is a poor country, and majority of these persons constitute this section of the community, the scheduled castes and scheduled tribes. Whatever we do for the general socio-economic development of the people, the major portion of our work or our assistance will naturally go to this section of the population.

When this Government came into power in 1980, the Prime Minister and our Government and the party took the earliest opportunity of moving a resolution in the House extending the reservation for the scheduled castes and scheduled tribes. She has taken another step in writting to the various departments of the Central Government and also to the various State Governments to take steps in order to eradicate the poverty among these people. Her letter dated March 12, 1980 is most relevant in this connection. I quote what she has written :

> "I am writing to convey to you the deep concern of the Government of India about the problems of the Scheduled Castes, and the high priority that we attach to the task of their rapid socio-economic development.
>
> I am writing separately about the measures to be taken to deal with the atrocities or crimes on Scheduled Castes, which have been occuring in large numbers and have sharply increased in the last three years. There is a clear nexus between the economic

plight of the Scheduled Castes and the atrocities and social disabilities to which they are subjected. For example, many of these crimes are intended to tarrorise and cow down the Scheduled Castes when they seek their wages for agricultural labour or try to cultivate the lands legally allotted to them. A permanent solution to this situation must be based on the rapid economic development of the Scheduled Castes.

The proportion of Scheduled Castes in the poverty population of India is much larger than their proportion of 15 per cent in the total population. They are characterised by below-the-poverty-line economic status, poor asset ownership, general dependence on agricultural labour, subsistence farming, share-cropping, leather work and other types of low-income occupations; preponderence among bonded labourers; and subjection to social and civil disabilities.

In my inaugural address to the conference of State Ministers in charge of Backward Classes Welfare in April 1975, I had emphasised the responsibility of the different departments in executing programmes relevant to the Scheduled Castes. That conference recognised the needs of the Scheduled Castes and recommended that each Department should identify programmes relevant to the Scheduled Castes in each sector and quantify the benefits that should be made available to them. I understand that most State Governments have formulated Special Component Plans for Scheduled Castes as part of their State Plans.

The Special component plans, already prepared by the State Government, have not only to be improved quantitatively and qualitatively, but should also be implemented satisfactorily. Satisfactory implementation will require not only attention to programmes but also a clear-out personnel policy consisting *inter alia* of orientation of officers of Departments concerned with development towards the needs of the Scheduled Castes and their careful selection, training and continuity of tenure. The objective of the various development programmes in the Special Component Plan should be to enable Scheduled Castes families in the States to cross the poverty line within a short and specified period, if possible at least half of them in this Plan period itself. For this purpose, it is particularly important to take note of the developmental needs of the Scheduled Castes in each occupational category, identify the available opportunities suitable for them, formulate appropriate developmental programmes in the light of the above and build these programmes and corresponding outlays into the Special Component Plan. In this context, an illustrative list of possible programmes in important sectors for different occupational categories of the Scheduled Castes is enclosed. It is important that the programmes and outlays in the Special Component Plan do not represent small token provisions, but should be adequate to cater to a substantial proportion of the number of Scheduled Caste families in the relevant occupational categories.

The Scheduled Castes Development Corporation which is another important instrument for the development of Scheduled Castes, should be activated and made effective in the field. Close linkages should be established between the sectoral programmes in the Special Component Plans and the Scheduled Castes Development Corporation's activities. There are also a number of

other programmes for the Scheduled Castes which are wholly or partly funded by the Central Government. The State must take ful advantage of them by preparing programmes and providing matching funds wherever prescribed.

You will hear in great detail from the Ministry of Home Affairs and the Planning Commission. You should see that the task of the development of the Scheduled Castes receives the highest priority from your State Government and gets the benefit of your personal attention and guidance. Please keep me informed of the action taken and the progress from time to time."

This is what she said in 1980. At one time, a suggestion was also made, if I remember correct, that the Chief Minister of a State should have the portfolio of Harijan Welfare. That was also stated categorically when Panditji was the Prime Minister of this country. And that was re-emphasised by our Prime Minister. In this way, utmost importance is being given for the socio-economic development of these people. I agree with the hon. member Shri Paswan that with all these Plans, we were not able to make substantial progress. This is because of the limitations the Central Government have got, so far as the State Governments and their financial plan outlays are concerned. We can only advise them that they must provide necessary assistance to these weaker sections of the society. We con only persutade them, but their is no such Constiutional authority to make them do what we want and what is required to be dore for the socio-economic development of these people.

In the Sixts Plan, we took some concrete steps with regard to the development of these persons. The total amount for various States in the Special Component Plans is Rs. 2600 crores. Apart from that, during this Plan period, we have avolved a Special Central Assistance Scheme to the State Governments, irrespective of what they will spend so far as these Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned.

Our target for the 6th Plan is to give Central assistance to the extent of Rs:600 crores, to various State Governments in addition to what they had alloted their Plan outlays for their development. So far, Rs. 406 crores have been distributed to the various State Governments as Central assistance. We expect that this Central assistance will be properly utilized, and utilized to the best advantage of these sections of the society, for whom we have intended this. This is a major step which this Government has taken, so far as Central assistance to SCs and STs through various State Governments are concerned.

SHRI RAM VILAS PASWAN : State Governments would not do it.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : But what can we do, placed as we are constitutionally ? Whatever we want them to do, we expect them to do. People like Mr. Paswan and other dedicated workers must mobilise public opinion against State Governments which have not fulfilled their expected task.

SHRI RAM VILAS PASWAN : It is your Government which does not implement it.

SHRI R. VENKATASUBBAIAH : This type of allegation will not help us. Sir, every time he quotes *Aryavarta*. He takes what it says as words from Bible or Quran.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Rs. 7 crores have been surrendered by the Bihar Government...

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I will enquire.. We are living in Aryavarta, but we can not all the time go by what *Aryavarta* says.

MR. CHAIRMAN : He can send you a translation of it.

SHRI R. VENKATASUBBAIAH : Mr. Paswan has raised several points. With

regard to giving of licences, wages etc., he has quoted some answers given by the Ministry of Industry. One important point he has made out is in the matter of giving licences, and in the matter or giving financial assistance. He says there is no break-up so far as SCs and STs are concerned. He also says that we are adopting double standards, viz. that at one point we say something; but when he asks for some figures, we say we don't have them.

In the matter of giving licences and also of encouraging the entrepreneurs belonging to these communities, I will find out the position from the Ministry of Industry, because I don't have any information. I cannot say off hand now what that Ministry's thinking was; whether there was any strategy evolved by them to help these people, for giving these loans or licences to these SC and ST people.

SHRI RAM VILAS PASWAN : What are the guidelines issued by the Home Ministry, because it is your Ministry which can issue the guidelines, which other Ministries will follow ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : May I read out the guidelines ?

SHRI RAM VILAS PASWAN : I have read the reply of the Minister of Industry.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : What I read now is from the letter of the Home Minister, which is a follow-up action to what the Prime Minister had written already. I am reading a part of it :

> "I am writing this letter specifically about the development of Scheduled Castes, since the matter needs continuing vigilance. You may recall in this connection the Prime Minister's letter of March 12, 1980, conveying the deep concern of the Government of India about the problems of Scheduled Castes and the high priority attached to the task of their rapid socio-economic development. She also emphasized the need for quantitatively and qualitatively improving the Special Component Plan, keeping in view the special needs and handicaps of the Scheduled Castes. Shortly thereafter, the Special Central Assistance to the States' Special Component Plan was introduced from 30th March 1980. Now that the new 20-point programme has begun, proper implementation of the Special Component Plan with a view to achieving its objectives.....becomes all the more important."

This is a long letter. I will find it out.

SHRI RAM VILAS PASWAN : What is the policy regarding industry ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I already said there are guidelines; whether what he has raised is also one of the points of the guidelines, I will find it out from the various Ministries. He has raised a new point here whether this categorisation of SC & ST is also one of the guidelines, how can you find out whether these people have got any assistance, this is a matter I will find out whether it is possible administratively. Unless I know from the Industry Ministry, I cannot say whether it is possible administratively; whether it is going really to help these people.

MR. CHAIRMAN : At the moment, the Minister is not in possession of the facts. He says he will as certain and let you know about it.

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय, यह बताएं कि क्या इंडस्ट्री लगाने या लाइसैंस देने में शिडयूल्ड कास्ट्स के लिए प्रापर्टी या रिजर्वेशन की पालिसी है या नहीं ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I cannot speak, like Shri Paswan on assumptions. When I speak, it is a committal to the House. I submitted that whatever points he has raised, so far as the Industry Ministry is concerned, I will

convey those points to them and I will inform the hon. member about the points which he has raised in this connection.

SHRI RAM VILAS PASWAN : I have read the reply given by the Minister; I am not reading on my own.

MR. CHAIRMAN : The Minister says he will make a specific enqiry and let you know about it.

SHRI P. VENATASUBBEIAH : I will make a specific enquiry about the points he has raised. What more to prove my bonafide with Mr. Paswan is becoming increasingly difficult. I have stated what I have got in my possession and whatever he wanted we will certainly convey to them.

SHRI RAM VILAS PASWAN : You are saying what you have done; you are not telling me what you are going to do.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : The Government is very serious and anxious to do what all we could do in this connection; and I can assure my hon. friend that we will do our utmost; whatever he has dealt with here, it will be borne in mind. He has said about setting up a separate department in the division in the Home Ministry handling the development of SC. There is one SC Under Secretary, one SC Deputy Secretary, one SC Director and the division is itself headed by the Joint Secretary who is SC.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Is there any department I do not want any division.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : What I am tetling is about the division. If he cannot understand between a division and a department, I am not responsible for that.

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, आप हमारी हेल्प क्यों नही करते ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्ज में कोई सैपेरेट डिपार्टमेंट है या नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर का लैटर पढ़िए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने लैटर में कहा है कि देयर विल बि ए सैपेरेट मिनिस्ट्री और देयर विल बि ए सैपेरेट डिपार्टमेंट इन दि होम मिनिस्ट्री। श्री वेंकटसुब्बय्या डिवीजन की बात कह रहे हैं।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : If I have understood the Prime Minister's letter, I don't think that what he has raised is...(*Intertuptions*)

MR. CHAIRMRN : You have demanded a separate Ministry or a department in the Ministry of Home Affairs for SC & ST. He says, there is already a division consisting of some SC officers; that is his answer.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : That is what I said.

SHRI RAM VILAS PASWAN : What the State Minister is saying is different from the Home Minister, Mr. Sethi. श्री सेठी ने कहा था कि सैपेरेट डिपार्टमेंट का मामला एक्टिव कंसिडरेशन में है। मंत्री महोदय जब डिविजन की बात कह रहे हैं।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : If the Home Minister had said it, it stands. I cannot add more to whatever the Home Minister has already stated.

MR. CHAIRMAN : You verify it. If the Home Minister has said it, you stand by that commitment if anything has been made.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Whatever the Home Minister has said, you must always stand by that.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I am already standing and replying; and I will stand by what the Home Minister has said; he does not have any doubt or reservation about it. With these words, I will again appreciate my good friend Mr. Paswan for

having highlighted the problems of the SC & ST.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Will you say about land-reforms;

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Let him go and ask the State Governments. Land-reform is the bed rock. I agree that unless we successfuly implement land-reforms, whatever we talk about SC & ST welfare is an eye wash. We are deeply committed, the Government is deeply committed to it. It is we who introduced land-reforms in this country. We have advised the State governments. We have sent the guidelines to the State Governments, for land reforms. Therefore, it is for the State Governments, to implement. I only humbly request the hon. Member to find out from the various States, like Bihar, what they have done.

SHRI RAM VILAS PASWAN : What about 20,000 acres of land allotted...

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I will now request the hon. Members to put one question each, because we have had a fairly long discussion. That is what the rule says also. I call the hon. Members one by one to put one question please. The hon. Minister will reply. This is according to the Rules of Procedure. Let us follow it. Shri Rangaji has correctly stated that we should follow it, and do it within the time specified. Shri Virdhi Chander Jain. Please put your question.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, माननीय पासवान जी ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का पता करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास के बारे में जो प्रश्न उठाया है तो उस सम्बन्ध में मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमने छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति और जनजातियों की गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए यह निर्णय लिया था कि हम 50 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा लेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि छठी योजना में अब तक कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गरीबी रेखा से ऊंचा उठाया है और उनकी स्थिति में परिवर्तन किया है ?

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Mr. Chairman, I would like to be very precise. This discussion arises out of an answer given by the hon. Minister to the House on 14-3-1984. The Minister has stated that a study has recently been sponsored by the Ministry in a few blocks in Uttar Pradesh for socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, that the report was under examination of the Government. So, when this is the categorical reply of the hon. Minister to the House, on another occasion I also raised it under Rule 377. The issue, was whether a suitable machinery to evaluate and study the impact of the welfare programmes for the weaker sections, particularly of Scheduled Castes and Scheduled Tribes was being evolved, and whether the Government were going to evaluate the programmes—because the Government has spent many crores of rupees—what is the result, or what is the impact of that spending, whether such a study has been undertaken, and whether the Government consider doing it. This was my earlier question to the hon. Home Minister. He stated in his reply to that question on August 5, 1983, that sufficient attention was being paid to the proper and timely evaluation of all the programmes. But he had not stated that it would be done or whether any evaluation will be there. But here, this is the categorical reply that it is being done in some States. So, I like it to be clarified whether the earlier study has been done way with, or whether they want to evaluate a machinery to study the impact. If so, what is the basis on which they are going to proceed ?

SHRI A.C. DAS (Jaipur) : I am glade that the Home Ministry has assured the House on 25th April, 1984 to invite the Scheduled Cast Members of Parliament to discuss the 7th Five Year Plan for the

development of Scheduled Castes. The Planning Commission has also set up various Study Groups, such as Study Group on Concepts and Estimation of Poverty Lines, Working Group on Special Programme of Rural Development and Working Groups for Scheduled Castes as well as for Scheduled Tribes. While formulating the 7th Plan Government propose to make a socio-economic survey of the Scheduled Castes, especially in the ural areas and identify them ? Government ropose to categorise community-wise socio-economic conditions of Scheduled Castes and formulate the Plan as such so that the poorest among the Scheduled Caste Communities may also get the benefits ?

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) : Crores of rupees are being given by the Central Government to States for acquisition of house-sites to be distributed amongst Harijans. But in thousands of cases the land-owners are going to the courts and stay orders are being given. What is done in that respect ? Is it not necessary to appoint special benches and see that they are settled in a targeted period ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Mr. V. C. Jain wanted to know as to how many people were helped to cross the poverty line during the Sixth Plan. The total population is 10 crores and 2 crore families are involved. During the Sixth Plan our aim is to uplift 96,44,763 families. And in these four years assistance has been given to this population to cross the poverty line.

About Shri Arjun Sethi's point, the Home Ministry have recently entrusted the studies on different aspects of socio-economic development with the research institutes of repute in different parts of the country. One such research study has been entrusted to the Giri Institute of development Studies, Lucknow in March, 1982. The Institute submitted a draft report of the research study entitled 'Socio-economic Development of Scheduled Castes in Uttar Pradesh' to the Ministry recently. The report is being examined. We intend to intensify the research studies as was suggested to the hon. Member.

Shri A.C. Das has asked whether intensive research will be made in the rural areas with regard to the particular aspect of socio-economic development of these people. In our scheme of things, at every level we have got various committees constituted to go into these aspects from the block level to the zila parishad level. We will call for a report from these institutions whether the requirement could be met by these institutions. If there is any shortcoming, we will try to improve that system.

About Shri Rajagopala Naidu's point that special courts should be constituted, at this stage I am not in a position to say anything on this. We have to consult the State Governments. As a matter of fact, several case are pending in the courts. I know several instances where these people are not getting justice. The moment house-sites are alloted, the rich and influential people go to the courts and get a stay order. It has become very difficult for us to get the stay vacated for years together. So, there was an opinion in this country whether this could be included in the Ninth Schedule of the Constitution to get it removed from the jurisdiction of the courts.

MR. CHAIRMAN : The alone will not solve the problem. Ninth Schedule alone will not solve it.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : That was one of the suggestions.

MR. CHAIRMAN : It is a very important matter and I hope Government will give a serious thought to it.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : We take it very seriously. We will again adress the various State Governments and see whether they can expedite this process to provide the house-sites to these people.

18.36 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 30th April, 1984/ Vaisakha 10, 1906 (Saka).

Printed at the Indian Press